बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

संकल्प

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, अरवल में दायर परिवाद संख्या–892/2009 में दिनांक 27.05.2025 को पारित न्यायादेश में श्री अभिषेक कुमार, परीक्ष्यमान अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, गयाजी को तीन वर्ष 06 माह के साधारण कारावास एवं 10000/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

2. उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल, जहानाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या–16/2025 में दिनांक 12.06.2025 को पारित न्यायादेश द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायादेश दिनांक 27.05.2025 पर स्थगन आदेश पारित किया गया।

3. उक्त आपराधिक अपील–16/2025 में दिनांक 12.06.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार को दिनांक 13.06.2025 को जमानत पर रिहा किया गया। इस प्रकार श्री कुमार दिनांक 27.05.2025 से 13.06.2025 तक कारावास में रहे।

4. तत्पश्चात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल द्वारा आपराधिक अपील संख्या–16/2025 में दिनांक 21.07.2025 को पारित न्यायादेश द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल में परिवाद संख्या–892/2009 में दिनांक 27.05.2025 को पारित न्यायादेश को अपास्त (set-aside) कर दिया गया एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147, 323, 380 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

5. उक्त के आलोक में श्री अभिषेक कुमार, परीक्ष्यमान अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, गयाजी को उनके कारावास अवधि दिनांक 27.05.2025 से 13.06.2025 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

6. श्री कुमार के उक्त अवधि का सेवा विनियमन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुधांशु कुमार चौबे)
विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0(02) 26/2025/नि0सं0.................... दिनांक....................................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0(02) 26/2025/नि0सं0.................... दिनांक..................................

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गयाजी/मुख्य अभियोजक, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/श्री अभिषेक कुमार, परीक्ष्यमान अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(02) 26/2025/नि0सं0.................... दिनांक..................................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0(02) 26/2025/नि0सं0 2655 दिनांक 22/12/25

प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।